

ताकिल हो गई। पत्रावली में हस्ताक्षर  
मौजूद है पर अनुपस्थित है कोई  
जबाब पेश नहीं किया गया। जबाब  
पेश करने हेतु न्यायाधिकार में एक  
अंतिम अवसर दिया जाता है।  
प्रतिवादी सं० १ की ओर से व्यक्ति  
कृष्ण कान्त मेहता द्वारा वकालतनामा  
पेश किया गया। जबाब पेश करने  
हेतु अधिवक्ता ~~को~~ अंतिम अवसर  
दिया जाता है। प्रतिवादी सं० २ व ११  
को पूर्व में एक नोटिस जारी किया है।  
पत्रावली में प्रतिवादी सं० १० को ताकिल  
विधिगत कराई जावे। पत्रावली वास्तव  
जबाब दिनांक १५-१०-१८ को पेश हो

उपखण्ड जजिस्ट्रेट  
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

15-10-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी  
अथवा अधिवक्ता अनुपस्थित है।  
पत्रावली में वादी अथवा अधिवक्ता  
को तीन-तीन बार आवाज लगाई गई।  
फिर भी उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली  
में आदेश १ नियम ३ के तहत आदेश  
होजारी, आदेश पैरानी में वाद खसरीज  
किया जाता है। निष्पत्ति खुले न्यायाधिकार  
में खुलासा गया। पत्रावली पूरा  
सुमात्र ही दर्ज नम्बर में कार्य होकर  
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड जजिस्ट्रेट  
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)